© 2019 IJSRST | Volume 6 | Issue 3 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

# राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 का भारत पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों का अध्ययन

बासुदेव यादव
डी–51 जैतपुर एक्सटेंशन 1 राधा कृष्ण मंदिर,
बदरपुर, नई दिल्ली

सार:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 का देश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और सरकार की 2KG प्रति यूनिट अतिरिक्त अनाज देने की पहल से देश के लगभग 8072 लाख करोड़ कार्ड धारियों के गेहूं और चावल की आवश्यकता लगभग बराबर हो जाएगी उन्हें अतिरिक्त गेहूं चावल की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और इससे उनकी बचत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस अतिरिक्त बचत का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर करके और बेहतर जीवन यापन किया जा सकता है. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले राशन सामग्री को प्राप्त करने के लिए लोग अपनी आय छुपा रहे हैं जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है जिसे रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून मात्र संकेतिक है. उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है. जिससे गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है,

मुख्य शब्द– सकारात्मक, राष्ट्रीय ,खाद्य ,सुरक्षा, कानून, राष्ट्रीय, कुपोषण, गरीबी, जनमानस|

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 देशव्यापी कुपोषण, गरीबी, और बढ़ती हुई किसानों की आत्महत्या को रोकने हेतु एक समग्र, देशव्यापी सुरक्षा कवच साबित हुआ है. एक तरफ किसानों की उपज का उचित उपभोग और दूसरी तरफ किसानों की फसल को सरकार द्वारा खरीदना महत्वपूर्ण हो गया है जिससे की देशव्यापी गरीबी और भुखमरी को समाप्त किया जा सके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश के लगभग 67 प्रतिशत लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है देश में बढ़ती बेरोजगारी से आम जनमानस में कुंठा का भाव व निराशा के बीच सब्सिडी युक्त 2 जून की रोटी मील का पत्थर साबित हुई है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 क्या है?:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, भारतीय संसद द्वारा पारित होने के उपरांत सरकार द्वारा 10 सितम्बर, 2013 को इसे अधिसूचित कर दिया गया।

उद्देश्य:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। खाद्य सब्सिडी पर सरकार का लगभग 145339 करोड़ रुपए का सदुपयोग प्रतिवर्ष हो रहा है यह भुखमरी को समाप्त करने वाली महत्वपूर्ण योजना है और व्ययभार के मामले में यह देश की सबसे बड़ी

**योजना है**,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कवरेज के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या

| S.No | राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | पहचान किए गए व्यक्तियों की संख्या (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 268.23 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 8.21 |
| 3 | असम | 251.63 |
| 4 | बिहार | 857.12 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 200.77 |
| 6 | दिल्ली | 72.73 |
| 7 | गोवा | 5.32 |
| 8 | गुजरात | 382.54 |
| 9 | हरयाणा | 126.49 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 28.64 |
| 1 1 | जम्मू और कश्मीर | 74.13 |
| 12 | झारखंड | 263.70 |
| 13 | कर्नाटक | 401.93 |
| 14 | केरल | 154.80 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 546.42 |
| 16 | महाराष्ट्र | 700.17 |
| 17 | मणिपुर | 21.58 |
| 18 | मेघालय | 21.47 |
| 19 | मिजोरम | 6.68 |
| 20 | नगालैंड | 14.05 |
| 21 | ओडिशा | 323.47 |
| 22 | पंजाब | 141.45 |
| 23 | राजस्थान | 446.62 |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | सिक्किम | 3.79 |
| 25 | तमिलनाडु | 357.34 |
| 26 | तेलंगाना | 191.62 |
| 27 | त्रिपुरा | 24.83 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 1499.83 |
| 29 | उत्तराखंड | 61.958 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 601.84 |
| 31 | एक और एन | 0.54 |
| 32 | दमन और दीव | 0.88 |
| 33 | दादरा और नगर हवेली | 2.08 |
| 34 | लक्षद्वीप | 0.22 |
| 35 | चंडीगढ़ | 2.77 |
| 36 | पुडुचेरी | 6.16 |
| | संपूर्ण | 8072.00 |

प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित डेटा

भारत सरकार

"भारतीय संविधान की धारा 47 में यह प्रावधान है कि सरकार लोगों का जीवन स्तर उठाने आहारो की पौष्टिकता में वृद्धि करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार लाने जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेगी एवं खाद्य सुरक्षा में पौष्टिक व कैलोरी युक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाएं, परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा हेतु अनेक योजनाएं भी लागू की है जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्या भी हल हो सके".

न्यायपालिका की चिंता:- "न्यायालय इस बात को लेकर चिंतित है कि समाज के निर्धन व बेसहारा व कमजोर तबके भूख व भुखमरी से न पीड़ित रहे भूख और भुखमरी को रोकना केंद्र और राज्य दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है अब यह सब कैसे सुनिश्चित हो यह एक नीतिगत मामला है जिससे सरकार को सुलझाना होगा न्यायालय तो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी गोदामों में भरा पड़ा खाद्यान्न ना तो समुद्र में फेंके ना ही चूहों का भोजन बने, बिना क्रियान्वयन के नीतियां निरर्थक हैं" " महत्वपूर्ण यह है कि खाद्यान्न उन लोगों तक पहुंचे जो भूख और भुखमरी के शिकार हैं"

देश के लगभग 60% आबादी पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का सीधा असर पड़ रहा है जिसमें भूमिहीन बेघर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व शहरी क्षेत्रों में रह रहे घरेलू नौकरों रेहड़ी पटरी वाले कूड़ा बीनने वाले झुग्गी बस्ती में निवास करने वाले व अन्य निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सब्सिडी युक्त रसद सामग्री भूख शांत करने के लिए वरदान साबित हुआ है. शहरी क्षेत्रों में सस्ती दर पर प्राप्त रसद सामग्री का उपयोग करने से प्राप्त संतुष्टि सब्सिडी राशि से अधिक मापी गई है.

शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति लाभ,

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मद | एनएफएस मूल्य | बाजार मूल्य | सब्सिडी | पात्रता (kg) | प्रति व्यक्ति सब्सिडी |
| गेहूँ | 2 | 24 | 22 | 4 | 88 |
| चावल | 3 | 30 | 27 | 1 | 27 |
| | | | | संपूर्ण लाभ | 115 |

ग्रामीण क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाली जनजातियों, बेघर, भूमिहीन, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं एवं उनके आश्रित, परिवार से अलग अलग रह रहे माता-पिता, खेतों में काम करने वाले अल्पकालिक मजदूरों के लिए एकमात्र सहारा साबित हुआ है जिससे उन्हें वास्तविक खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई है.

ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति लाभ,

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मद | एनएफएस मूल्य | बाजार मूल्य | सब्सिडी | पात्रता(kg) | प्रति व्यक्ति सब्सिडी |
| गेहूँ | 2 | 17.35 | 15.35 | 4 | 61.4 |
| चावल | 3 | 26 | 23 | 1 | 23 |
| | | | | संपूर्ण लाभ | 84.4 |

ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे निर्धन बेसहारा लोगों को प्रतिमाह निश्चित रसद सामग्री मिलने का कानूनी अधिकार उनके जीवन प्रत्याशा में वृद्धि कर रहा है जो कि शहरी क्षेत्रों में मिल रही संतुष्टि से कहीं अधिक व्यावहारिक व मानवीय है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में तकनीकी का उपयोग:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से प्राप्त रसद सामग्री का का उच्च आय वर्ग व बड़ी कृषि जोत व काश्तकारों पर इसका आर्थिक प्रभाव लगभग शून्य है जिन्हें सूचना व तकनीकी व आधार आधारित प्रणाली का उपयोग करके सही उपभोक्ता को लाभान्वित किया जा सकता है. ऐसी बृहद और राष्ट्रव्यापी योजनाओं की निगरानी व सही लाभार्थियों का चयन आधार आधारित प्रणाली के बिना संभव नहीं है और जब राष्ट्रीय संसाधनों का सब्सिडी के माध्यम से दुरुपयोग होता

रहा है और इसकी आलोचना भी होती रही है तब इसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में आधार आधारित प्रणाली अत्यावश्यक और उपयोगी है.

राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी की आवश्यकता:- भारतीय अर्थव्यवस्था दो अलग-अलग आर्थिक आधारों पर आधारित है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विषमता पाई जाती है एक तरफ जहां शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण सभी आय वर्ग के व्यक्तियों पर कहर बरपा कर आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है तो दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर बेरोजगारी, अशिक्षा, असिंचित कृषि भूमि, छोटी कृषि जोत वाले किसान लाखों की संख्या में प्रतिदिन शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं हैं जिससे शहरों की आबादी व प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण जनसंख्या शहरों की तरफ पलायन से खाद्य पदार्थों की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं. इन बढ़ती कीमतों के कारण शहरी क्षेत्रों के गरीबी व भुखमरी दिन-प्रतिदिन और भयावह स्थिति लेती जा रही है. शहरी गरीबी व भुखमरी की स्थिति को दिल्ली के मंडावली इलाके के तीन बच्चों की भयावह बीमारी और कुपोषण से मौत को समझा जा सकता है जो कि लगभग 15 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल से रोजगार के लिए दिल्ली आए थे.

यदि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना को आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी लागू कर दी जाए तो रोजगार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करने वाले लोगों को सब्सिडी युक्त राशन प्राप्त करके अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दो वक्त की रोटी दे सकेंगे नेशनल लेवल पर पोर्टेबिलिटी लागू करके मोनोपोली समाप्त किया जा सकता है और इस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा सकता है पारदर्शी व्यवस्था में पीएस होल्डर बिना किसी भय या दलाली के राशन गरीबों तक सही मात्रा सही समय व समयबद्ध तरीके से पहुंचा सकेंगे जिससे इस व्यवस्था में व्याप्त इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जा सकेगा नेशनल लेवल पर पोर्टेबिलिटी लागू होने से एक राशन कार्ड धारी देश के किसी भी कोने में आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से उसे राशन दिया जा सकता है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का दुरुपयोग :-भूख और कुपोषण से हुई मौतों को देखकर लगता है कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून के तहत सही लाभार्थियों की पहचान नहीं हो पा रहा है और अपात्र लोगों द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है. जिसे रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून मात्र संकेतिक है. उनका उपयोग नहीं किया जा रहा जिससे इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है जिसे रोका जाना नितांत आवश्यक है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की नई पहल:- आम चुनाव 2019 द्वारा द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा पहली कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले 5 किलो खाद्यान्न को 2 किलो प्रति यूनिट बढ़ाने व 16.3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को 1 किलो चीनी देने पर विचार किया जा रहा है जिससे सरकार पर 4727 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा.

# संदर्भ ग्रंथ सूची,


**1**- राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून 2013,

**2-** भारतीय संविधान,

**3**- प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित डेटा भारत सरकार